


बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 30.07.2015

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं० 119...../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या- 13561/2014 में दिनांक 22.05.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री शशि भूषण, आई०सी०ए०एस० (99) कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 8 (2) के अधीन अपने कार्यों एवं दायित्वों के अतिरिक्त कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेश तक मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना का प्रभार सौंपा जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(देवचन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-36/2015 श्र०सं० 119...../ पटना, दिनांक-30.07.2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वि०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/सभी उप श्रमायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपमुख्य कारखाना निरीक्षक पटना/सभी कारखाना निरीक्षक/ श्री शशि भूषण, कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग सह निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।

30/7/15